

क्र०/मा.चि./न.क्र.- 152/2024/ 2850
प्रति,

✓ अर्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर

विषय :- आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लिमिटेड रायपुर द्वारा मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी -भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 9.406 हेक्टे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।
पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43521/2019.

संदर्भ :- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र./एफ 5-17/2023/10-2 दि. 11.07.2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र/ भू-प्रबंध/ विविध-ए/115-793/ 2051 नवा रायपुर, दिनांक 20.08.2024

3. व.म.अ. मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल का पत्र क्र./त.अ./2024/2414 दि. 08.10.2024

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर के संदर्भित पत्र-1 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र-2 द्वारा शर्तें अधिरोपित कर अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार प्रदत्त अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के संदर्भित पत्र-3 द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

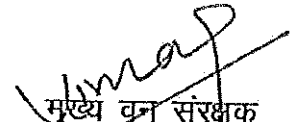
क्र.	शर्तें	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)

	वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फलोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सकें तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
07	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
11	वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)

	सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे।	
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)

वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के संदर्भित पत्र-3 मय बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन 03 प्रतियों में अनुशंसा सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र मय पालन प्रतिवेदन 3 प्रतियों में।


मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 09/11/2024

पृ0क्र0/मा.वि./न.क्र.- 152/2024/28551

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, फोर्थ फ्लोर ऑफिस ब्लॉक, ऑफिस नम्बर. 401-405, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्ड), रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर
08/11



DIGITAL
LIFE



क्रमांक/जिडिफाप्रालि/ओएफसी/वनभूमि/स्टेज-1/2023-24

रायपुर, दिनांक : 28.08.2023

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,

वन मण्डल मनेन्द्रगढ़,

जिला - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़).

विषय : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 9.406 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ : छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5-17/2023/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16.08.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 9.406 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि उपयोग पर देने हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है । प्रथम चरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रमांक	शर्त	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की सिगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किए मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।



4th Floor, Office Block, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014

Office Phone No. : 0771-3557701

Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.

Tel no: 079-35600100



DIGITAL
LIFE



	आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।	
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जाएगी ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
07	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980)द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

4th Floor, Office Block, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014

Office Phone No. : 0771-3557701

Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.

Tel no: 079-35600100

	हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संश्रयक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे ।	
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
15	आवेदक संस्थान प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ औपचारिक अनुमति के पूर्व अनिवार्य रूप से कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जिसमें आवेदित रकबा 9.406 हे. उल्लेखित हो, प्रदाय करेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

संलग्न :- वचन पत्र 5 प्रतियों में ।



(**शमिम कुमार सिंह**)
महाप्रबंधक (कमर्श. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)